18 से

पत्रावली ऑनलाइन कोई में पेश हुई। प्रार्थी सं. 1 उपर (प्रार्थी को ऑनलाइन कोई में सुना)। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्पष्ट निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से काम हो तथा वाद समाप्त संपन्न घोषित हो।

प्रमाणित